न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 42/2018 (225 आरटीए) लालदीन वगै. बनाम तहसीलदार बाप

(ऑन लाइन प्रकरण सं. 2018/00070)

1 लालदीन पुत्र श्री मोहम्मद खां,
2 सद्दीक पुत्र श्री लालदीन खां,
3 इसाक पुत्र श्री लालदीन खां,
जातियान मुसलमान निवासियान अजेरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

तहसीलदार बाप जिला जोधपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर बाप
दिनांक 27.02.208 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 5/2018

उपस्थित :

1 अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बरकत खान मेहर।
2 रेस्पो. की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 26.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर बाप के आदेश दिनांक 27.02.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया एवं जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया कि ग्राम भड़ला (चुहड़ों की बस्ती) तहसील बाप के खसरा नं. 124 रकबा 100 बीघा का है इसमें 100 बीघा पर अपीलांट का कब्जा कदीमी है। वक्त सैटलमेंट अपीलांट गांव से पशु लकर बाहर चले जाने के कारण पैमाइस नहीं करवा सका। पैमाइस अधिकारियों की भूल के कारण उक्त कृषि भूमि सरकारी दर्ज कर ली गई। अपीलांट को उक्त भूमि सरकारी दर्ज होने से बेदखल करने पर आमादा है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा इस दखलंदाजी को रोका जाना आवश्यक है। अतः

26/9/2018
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निवेदन किया गया कि ग्राम भड़ला के खसरा संख्या 124 रकबा 100 बीघा पर रेस्पो. कोई दखलंदाजी नहीं करे और न ही राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करे और न ही किसी सौर उर्जा को आवंटित करें। प्रकरण में रेस्पो. की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट अतिक्रमी रहे हैं तथा समय–समय पर उक्त भूमि से अपीलांट को बेदखल किया जाता रहा है व अपीलांट का कब्जा काश्त निरंतर वादग्रस्त भूमि पर नहीं रहा है। सरकारी भूमि को अवैध रूप से हड़पना चाहते हैं अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन रेस्पो. की ओर से किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप ने अपने आदेश दिनांक 27.02.2018 के द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपीलार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदुओं का नहीं होना मानकर प्रार्थना पत्र सारहीन होना मानकर अपीलाधीन आदेश के द्वारा खारिज फरमा दिया जिससे व्यथित होकर आलोच्य अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बरकत खान मेहर ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिंदुओं को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री को न तो सही ढंग से पढ़ा है न ही समझा है और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। विवादित भूमि पर प्रार्थी/अपीलांट का अर्से दराज से कब्जा काश्त अपने पूर्वजों के समय से वक्त सैटलमेंट के पूर्व से ही चला आ रहा है अपीलांट ने अपने पूर्वजों के नाम से जारी की रसीदात, खसरा परिवर्तनशील, मांग पर्ची, मौके पर निर्मित ढाणियां टांके आदि के फोटो ग्राफ पेश किए हैं परंतु फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकार की साक्ष्य पत्रावली पर होते हुए भी उसका न तो आलोच्य आदेश में अंकन किया और ना ही उसको कंसीडर किया इस कारण आलोच्य अपीलाधीन आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। अंत में निवेदन किया गया कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 को निरस्त किया जावे तथा अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारीगण अपीलार्थी के ग्राम भड़ला के खसरा सं. 124 रकबा 100 बीघा पर कोई दखलंदाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे और न ही राजस्व रिकाड में परिवर्तन करे न ही किसी सौर उर्जा ऐजेंसी को आवंटित करे और ना ही अपीलार्थी को उसके कब्जे से बलपूर्वक बेदखल करे।

5 रेस्पो. की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने अपनी बहस में

2619
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कथन किया कि ग्राम भड़ला में खसरा नं. 124 रकबा 100 बीघा भूमि है जो राजकीय भूमि है। अपीलांट इस भूमि पर अतिक्रमी रहा है जिसे समय–समय पर बेदखल किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने निरंतर कब्जा काश्त होने का कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया है। विवादग्रस्त भूमि राजकीय सिवाय चक की भूमि है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदु प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 बावत अस्थाई निषेधाज्ञा सही खारिज किया है अतः अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 प्रकरण में भूमि राजकीय होने से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदु प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में बनना नहीं पाए जाने से अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है। अतः यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

8 अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 यथावत रखा जाता है।

26/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

9 निर्णय आज दिनांक 26..09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर